1. महाविद्यालय के अधिकारीगण इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों की अपेक्षा करते हैं कि, विद्यार्थीगण अनुशासन तथा सद्व्यवहार का एक आदर्श इस शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करेंगें तथा किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगें ।

2. यदि किसी विद्यार्थी के विरूद्ध दुराचरण, दुर्व्यवहार या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्यउसे महाविद्यालय से पृथक अथवा निलंबित कर सकते है । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकते है ।

3. सुरक्षा निधि (काशन मनी) विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़ने पर या स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करने पर वापसी योग्य है जिसके लिये विद्यार्थी को काशन मनी की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

4. वे विद्यार्थी जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि इस महाविद्यालय के कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यक टिकट लिफाफा भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है तो प्राचार्य ऐसे बिार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं तथा निलंबित भी कर सकते है ।

6. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि, वे नियमित रूप से महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगे सूचना पत्रों को पढ़ें । सूचना पटल में अंकित सूचनाओं को जानकारी के अभाव मान्य नहीं किया जायेगा ।

7. प्राचार्य इस विवरणिका के किसी भी नियम अथवा उप नियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगें । जो भी नये निर्देश प्रभावशाली होंगें, वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगें ।

8. किसी भी छात्र/छ त्राओं द्वारा रेगिंग करते पाया गया तो अनुशासन समिति के निर्णय पर संबंधित छात्रा/छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।